[illegible] 1983 को पेश हो।

25/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील वादी की ओर से एड. सा. पत्र वापस, वाद पत्र विड्रॉ करने का पेश किया। पत्रावली एवं विड्रॉ सा. पत्र का अवलोकन किया गया। इसी प्रकरण में वादी एवं कोई नामिवाली नहीं चल रहा है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत विड्रॉ सा. पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विड्रॉ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)